भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2107

(28 जुलाई, 2014 को उत्तर दिए जाने के लिए)

'मनरेगा' की कार्यक्षमता

2107. डा. भालचन्द्र मुणगेकर:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से कोई लाभप्रद प्रयोजन पूरा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसे अधिक प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री उपेन्द्र कुशवाहा)

(क) : जी, हां। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के प्रभाव के संबंध में कराए गए मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया है कि इस कार्यक्रम की पहल से ग्रामीण अवसंरचना में सुधार हुआ है और इसने ग्रामीण आजीविकाओं में सहायता की है। मनरेगा कार्यों के प्रभाव से संबंधित ऐसे अध्ययनों के कुछ मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं : -

(i) कृषि संबंधी मजदूरी में बढ़ोत्तरी और ग्रामीण गरीबों की मोल-भाव करने की शक्ति में इजाफा होना।

(ii) पर्यावरण अनुकूल कार्यों का सृजन।

(iii) मृदा क्षरण में कमी होना और मृदा जैविक तत्वों में वृद्धि।

(iv) भू-जल स्तर, कृषि संबंधी उत्पादों और फसलों के उत्पादन में सुधार करना।

(v) जल असुरक्षा सूचकांक, कृषि संबंधी असुरक्षा, आजीविका संबंधी असुरक्षा में कमी।

(vi) पलायन के दबाव को कम करना।

(ख) और (ग) : मनरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं:

- लागत की दृष्टि से किसी जिले में किए जाने वाले कम से कम 60 प्रतिशत कार्य भूमि, जल और वृक्षों के विकास के माध्यम से कृषि और तत्संबंधी कार्यकलापों से जुड़ी उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण से संबंधित होंगे।
- ग्राम पंचायतों से भिन्न अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों के मजदूरी-सामग्री अनुपात की गणना जिला-स्तर पर की जाएगी ताकि अधिक टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण हो सके।
- प्रत्येक कार्य शुरू करने से पहले तथा उसके समापन के बाद भी उससे जुड़े परिणामों का आकलन किया जाएगा – जिससे परिणामों पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके।
- बेहतर आयोजना और निरंतर तकनीकी पर्यवेक्षण के माध्यम से परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास किया जाता है।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे महात्मा गांधी नरेगा, 2005 की अनुसूची-।। के पैरा 29 के अनुसार मजदूरी के भुगतान में विलंब के लिए मुआवजे से संबंधित प्रावधान लागू करें।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी की गई योजनाओं की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 के प्रावधानों के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षाओं में सुधार करें।
- नकली उपस्थिति, मस्टररोल से छेड़छाड़ और उनके दुरूपयोग के मामलों की रोकथाम के उद्देश्य से ई-मस्टर प्रणाली शुरू की गई है।
- निधियों के निरंतर प्रवाह के लिए इलैक्ट्रानिक निधि प्रबंधन प्रणाली (ई-एफएमएस) शुरू की गई है, जिससे मजदूरी के भुगतान में विलंब के मामलों में भी कमी आएगी।
- सभी राज्यों से कहा गया है कि वे शिकायतों के निपटान के लिए जिला स्तर पर ओम्बड्समैन नियुक्त करें।
- राज्य और जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां इस योजना की निगरानी करती है। अब इन समितियों का पुनर्गठन किया जा रहा है।

*****